अनाधिकृत रेलवे ई-टिकिट अवैध घोषित

स्रोत: द हिंदू

मैथ्यू के. चेरियन मामला 2025 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि **रेलवे ई-टिकिटों की खरीद और आपूर्ति का अनधिकृत व्यवसाय** एक **सामाजिक अपराध** है, जिसे रोकने की आवश्यकता है।

- **रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से** रेलवे टिकिटों की अनधिकृत बिक्री और खरीद के लिये **दंड का** प्रावधान है।
- इस मामले में ***[illegible] 1990*** संदर्भ दिया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि विधिक प्रावधान **अप्रत्याशित तकनीकी प्रगति** तक **विस्तारित हो सकते हैं।**
  - केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व में यह निर्णय दिया गया था कि यह प्रावधान **केवल ऑफलाइन टिकिट बिक्री पर लागू होता है**, हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने इसमें सुधार भी किया।
- आरोपी **मैथ्यू ने IRCTC** द्वारा निर्धारित टिकिट सीमा (**प्रति माह 12-24 टिकिट आरक्षण**) को दरकिनार करने के लिये सैकड़ों **अनधिकृत उपयोगकर्त्ता पहचान प्रमाण पत्र बनाए, जो अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन था।**
- भारतीय रेलवे भारत के बुनियादी ढाँचे का एक आधार है जो **वार्षिक रूप से लगभग 673 करोड़ यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।**

और पढ़ें... भारतीय रेलवे का भविष्य पुनर्निर्धारित करना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/unauthorized-railway-e-ticket-declared-illegal